

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3-- उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

र्सं० 132]

नहैं विल्ली मग तवार. ग्राप्रैल 26, 1977/वैशाल 6, 1899

No. 132]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 1977/VAISAKHA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जासी हैं जिससे थि यह अलग संकलम के रूप में रखा आ सर्व ।

Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compilation

#### MINISTRY OF PETROLEUM

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April 1977

G.S.R 194(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963 namely —

- These Rules may be called the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right User in Land) Amendment Rules, 1977
- In the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, in the preamble, in rule 1 and in clause (a) of rule 2, for the words "Petroleum Pipelines", the words, "Petroleum and Minerals Pipelines" shall be substituted.

[No. 11022/1/77-Prod.]

C R VAIDYANATHAN, Jt. Secy.

## पैट्रोलियम मंत्रालय

# श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 26 घप्रैल, 1977

सा० का० नि० 194(द्म).--पैट्रोलियम श्रौर खनिज पाइपलाइन (मूमि के उपयोग के श्रधिकार का श्रजंन), श्रधिनियम, 1962(1962 का 50) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त मित्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के श्रधिकार का श्रजंन) श्रधिनियम, 1963 में मशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, श्रथात

- 1. ये नियम पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के श्रधिकार का श्रर्जन) सशोधन नियम, 1977 कहे जायेगे ।
- 2 पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के ग्रधिकार का ग्रर्जन) नियम. 1963 की प्रस्तावना में नियम 1 ग्रीर नियम 2 के खण्ड (क) में "पैट्रोलियम पाइपलाइन" शब्दों के स्थान पर "पैट्रोलियम ग्रीर खनिज पाइपलाइन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[सङ्या 11022/1/77-प्रोडक्शन]

सी० ब्रार० वैद्यनाथन, सयुक्त सचिव ।